

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 09, शुक्रवार, शाके 1947- अक्टूबर 31, 2025 Kartika 09, Friday, Saka 1947- October 31, 2025

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) अधिसूचना जयपुर, अक्टूबर 29, 2025

जी.एस.आर.92 :-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम सं.13)की धारा 44, 50, 51 और 52 के साथ पठित धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है,अर्थात् :-

- 1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) (संशोधन) नियम, 2025 है।
- (2) ये त्रंत प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 8 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 के विद्यमान खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:"(iii)एक जिले से दूसरे जिले में संबंधित विभाग;"

[सं.एफ.4(18)नियम/संशो/विधि/पंरा/2025/34]
राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण गोयल,
शासन उप सचिव।

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ (PANCHAYATI RAJ)

NOTIFICATION

Jaipur, October 29, 2025

G.S.R.92.-In exercise of the powers conferred by section 102 read with sections 44, 50, 51 and 52 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj (Transferred Activities) Rules, 2011, namely:-

- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Transferred Activities)(Amendment) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force with immediate effect.
- **2. Amendment of rule 8.-** The existing clause (iii) of rule 8 of the Rajasthan Panchayati Raj (Transferred Activities) Rules, 2011 shall be substituted by the following, namely:-
 - "(iii) the department concerned from one district to another district."

[NO.F.4(18)Rule/Amend/ Legal/PR/2025/34]
By order of the Governor,
Bharat Bhushan Goyal,
Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.